-प्रेस नोट-

दिनांक - 13.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस और स्वॉट टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा हाईवे पर दोहरे हत्याकांड की घटना मे शामिल 25,000/- रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त सहित 01 अन्य अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था मे गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल, 06 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .32 बोर व 02 मैगजीन तथा 01 तमंचा, 01 खोखा/04 जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 13.11.2024 की सुबह को प्रभारी निरीक्षक नागल मय पुलिस टीम के साथ सिडकी से लाखनौर जाने वाले रास्ते पर चैकिग कर रहे थे। तभी एक स्विफ्ट कार लाखनौर की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा कार को टार्च की रोशनी दिखाकर रूकने का ईशारा किया गया। लेकिन कार चालक द्वारा कार को न रोककर गाव कोटा की ओर जाने वाले रास्ते पर मोड दिया तथा कार कुछ दुरी पर जाकर बाग के पास बन्द हो गयी। तभी कार से 02 सदिग्ध व्यक्ति उतकर बाग मे भागने लगे पुलिस टीम द्वारा उन्हें पकडने का प्रयास किया गया। तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिग से 02 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गये। घायल बदमाशों की पहचान **1-शादाब उर्फ सोनू पुत्र इकबाल निवासी सिकन्दपुर भैसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार व 2- आमिर पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला तहसील कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ** के रुप मे हुई। जो थाना नागल पर पजीकृत मु0अ0स0-345/2024 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण है तथा **अभियुक्त शादाब उर्फ सोनू उपरोक्त हाईवे डबल मर्डर के अभियोग में 25,000/- रुपये का ईनामी वाछिंत अभियुक्त है।** अभियुक्त शादाब ने बताया कि हाईवे पर दोहरे हत्याकांड की घटना मे आमिर भी मेरे साथ था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस व घटना मे प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नागल पर मु0अ0स0-347/2024 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म एक्ट के पंजीकृत किया। घायल बदमाशों को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है व अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगणो (सादाब उर्फ सोनू व आमिर (मौसेरा भाई) से पूछताछ पर बताया कि मेरे भाई मारूफ उर्फ जुगनू पुत्र इकबाल व मेरे गाँव के हुसनैन उर्फ छोटा पुत्र बाबू तथा गगोह के शोयब की दोस्ती थी। मेरा भाई मारूफ व शोयब ट्रक डाईवर थे। हुसनैन की दोस्ती शोयब से थी। मेरे भाई मारूफ का शव दिनाँक 22.09.2023 को गाँव के तालाब से बरामद हुआ था। घटना वाले दिन शाम तक मेरा भाई मारूफ, हुसनैन व शोयब तीनो एक साथ थे। जिसका पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे मेरे भाई की डूबने से मृत्यू होना आया था। लेकिन मेरे भाई को नशे की हालत मे इन दोनो ने ही तालाब मे डुबोकर मारा था। मेरे भाई की मौत के यही दोनो जिम्मेदार थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से हमारा मुकदमा दर्ज नही हो पाया था। हम लोग अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन हुसनैन घर से बाहर नही निकल रहा था और हम दोनो (हुसनैन व शोयब) को मारना चाहते थे। दिनाँक 07.11.2024 को हुसनैन शोयब के साथ कन्डैक्टरी पर चला गया और वह पंजाब से डस्ट, कंकरीट लेकर आ रहा था। हम लोगो को सूचना मिल गयी तो मै अपने भाईयो (हसीन व अफजाल) की योजनानुसार मै आमिर व अपने एक दोस्त को साथ लेकर इनकी गाडी का स्विफ्ट डिजायर से छप्पर वाला टोल से पीछा किया। सरसावा टोल को क्रास करके इनकी गाडी लाखनौर पुल के ऊपर दिनाँक 09.11.2024 को दोपहर के करीब एक बजे खडी मिल गयी और हम तीनो ने पिस्टल व तमंचे से ताबडतोड गोलिया चलाकर शोयब व हुसनैन की हत्या कर मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. शादाब उर्फ सोनू पुत्र इकबाल निवासी सिकन्दपुर भैसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार।
2. आमिर पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला तहसील कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पिस्टल .32 बोर, 06 जिन्दा/02 खोखा कारतूस, 02 मैगजीन
- 01 तमंचा 315 बोर, 04 जिंदा/01 खोखा कारतूस
- 01 स्विफ्ट कार (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध प्रभारी निरीक्षक नागल सहारनपुर
2. श्री संजीव कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना नागल सहारनपुर
4. उ0नि0 विपिन मलिक थाना नांगल सहारनपुर
5. उ0नि0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
6. श्री विनोद कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल सहारनपुर
7. है0का0 सोनू कौशिक सर्विलांस सैल सहारनपुर
8. का0 2333 अश्वनी कुमार थाना नांगल सहारनपुर
9. का0 38 विक्रान्त सिंह थाना नांगल सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.10.2024 को वादी राशिद अली पुत्र शफीक खाँ निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर सहारनपुर द्वारा थाना हाजा उपस्थित आकर उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0-208/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.11.2024 को मुकदमा उपरोक्त् में दौराने विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्त **महताब पुत्र इकलाख निवासी ग्राम घाना थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर कस्बा बेहट से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1)/115(2) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

महताब पुत्र इकलाख निवासी ग्राम घाना थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0-384/22 धारा 376/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. का0 811 दीपक कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा अनजान व्यक्तियों से बैंक खाता खुलवाले व लोन दिलाने के नाम पर आईड़ी लेकर फर्जी तरीके से फाईनेन्स पर वाहन लेने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फाईनेन्स पर ली गयी 03 मोटर साईकिल 03 व स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 12.11.2024 को वादिया शबनम पुत्री बाबू खॉ निवासी गाँधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1.आर्यन पुत्र हरिओम निवासी रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर 2.मोईन पुत्र शाहजमा निवासी फौलादपुरा देवबन्द जिला सहारनपुर 3.इसरार उर्फ गुड्डू पुत्र इरशाद निवासी मीना बाजार कस्वा व थाना देवबन्द जिला सहारपुर 4.शिवम पुत्र व पता नामालूम के द्वारा वादिया के साथ धोखाधडी व जालसाजी कर सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर वादिया से आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर वादिया की आई0डी0 का दुरुपयोग व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादिया के नाम से स्कूटी व मोटर साइकिल फाइनेन्स पर निकालकर उनका दुरुपयोग करने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 627/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1.मोईन पुत्र शाहजमा निवासी फौलादपुरा देवबन्द जिला सहारनपुर 2.इसरार उर्फ गुड्डू पुत्र इरशाद निवासी मीना बाजार कस्वा व थाना देवबन्द जिला सहारपुर को भनेडा रोड पर नई बन रही कालोनी के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर संमय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर दोनों ने एक राय होकर बताया कि हम दोंनो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनजान लोगो से लॉन या बैंक खाता खुलवाने के नाम से आईड़ी ले लेते है जिससे हम फाइनेन्स पर वाहन खरीदकर बाद में बिना लॉन की किस्त दिए अन्य लोगो को यह कहकर बेच देते है कि हमारे पास किस्त के रुपये नही है इसीलिए मजबूरी में ये वाहन बेचना पड़ रहा आप जितने रुपये हमने जमा किए है उतने रुपये देदों बाकी बची किस्त आप भर देना। जिससे हमें काभी रुपये पैदा हो जाते है जिन्हे हम आपस में बाट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. मोईन पुत्र शाहजमा निवासी फौलादपुरा देवबन्द जिला सहारनपुर
2. इसरार उर्फ गुड्डू पुत्र इरशाद निवासी मीना बाजार कस्वा व थाना देवबन्द जिला सहारपुर

बरामदगी का विवरणः–

03 मोटर साईकिल (हीरो स्पैण्ड़र प्लस)

03 स्कूटी (02 हीरो व 01 सुजकी कम्पनी की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 1646 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13-11-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मारपीट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05/11/24 को वादी सालिम उर्फ मिल्ला पुत्र नजीर निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 01.साजिद पुत्र ममदा 02.सादिक पुत्र ममदा 03.फरमान पुत्र साजिद निवासीगण ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर 04.सावेज पुत्र गफ्फूर 05.मुसारिक पुत्र नसीम नवासीगण ग्राम बेगी नाजर थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र मोबीन को बन्धक बनाकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी तथा लाठी डण्डो तथा तमंचे की बट से वार किये गये जिसमें मोबीन घायल हो गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 490/24 धारा 191(2)/191(3)127(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12/11/2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग के वांछित अभियुक्त साजिद पुत्र ममदा उर्फ मौहम्मद हसन निवासी शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को शाहपुर तिराहे से ग्राम बेगीरुस्तम जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बारमद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 498/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 05/11/2024 को हमारा मोबीन के साथ मे झगडा हो गया था और मैने इसी तमंचे से मोबीन के सिर मे बट मारकर उसको घायल कर दिया था और मै फायर करके अपने साथियो के साथ मौके से भाग गया था। मै यह तमंचा अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास मे रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

साजिद पुत्र ममदा उर्फ मौहम्मद हसन निवासी शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 नाजायज तमंचा 12 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिओम सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 रामकिशन राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 488 चन्द्रपाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 2001 कैलाश चौधरी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 13.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मानसिक रूप से कमजोर 09 वर्षीय गुमशुदा बच्चे को तलाश कर किया परिजनो के सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 06/04/2024 को वादी सर्वेश पुत्र फिकरेलाल नि0 खानपुर रोड थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा सूचना दी गयी कि उसका 09 वर्षीय लड़का जो कि मानसिक रूप से कमजोर है तथा खानपुर रोड़ से अचानक कही चला गया है। जिसको आस पास तलाश किया गया लेकिन कोई जानकारी नही मिल पायी। उक्त सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-129/24 धारा 363 भा.द.वि का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही कर बच्चे की तलाश की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदा/लावारिस/परिवार से बिछड़े बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने हेतु चलाये जा रहे के अभियान "आपरेशन मुस्कान" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त बच्चे की तलाश हेतु न्यूज मीडिया ग्रुप, डिजिटल वालन्टियर तथा अन्य सोशल मीडिया ग्रुप आदि में गुमशुदा की फोटो शेयर की गयी तथा भिन्न भिन् स्थानो पर तलाश की गयी। जिसके बाद गुमशुदा बच्चे के परिवारजनो को सूचना मिली कि उक्त गुमशुदा बालक जो दिल्ली मे चिल्ड्रन होम सलाम बालक ट्रस्ट (DMRP) मे है। पुलिस की मदद से गुमशुदा बच्चे को नियमानुसार उसके परिवारजनो के सुपुर्द कराया गया।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 राखी शर्मा थाना कोतवाली गंगोह जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी/महिला सम्बंधित अपराधो की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.11.2024 को पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0स0 465/24 धारा 74/78(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त **अमन पुत्र मेहताब निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को हनुमानगर पाल डेरी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमन पुत्र मेहताब निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अनिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
2. का0 77 अरुण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 13.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2024 को वादी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री बुद्धसैन जैन निवासी भामाशाह स्ट्रीट निकट दिल्ली रोड रामपुर मनिहारान सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की राईस मिल से अज्ञात चोर द्वारा मिल की मशीनो के पार्टस, पुली आदि चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-437/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **जोनी उर्फ शुभम पुत्र मामेश कुमार निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर** को निर्माणाधीन अन्डरपास के पास कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गया माल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम व पता-

जोनी उर्फ शुभम पुत्र मामेश कुमार निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 जंगला रेलिंग, 01 ऐंगल पाईप, 01 पट्टे वाली पुली मशीन, 06 लोहे के छोटे पाइप, 17 लोहे की पत्ती, 159 लोहे के सरिया के टुकडे, 02 लोहे की तान व 01 मशीन की बडी पुली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. हे0का0 391 मनोज कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर